



दिनांक – 10.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामले में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा नशा तस्करी के मामले में वारण्टी **अभियुक्त रोहित उर्फ सुधीर पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या- 176/21 व मु0अ0सं0 510/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर में धारा 82 सीआरपीसी में ग्राम दौलतपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

रोहित उर्फ सुधीर पुत्र श्याम सिंह निवासी दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रोहित उर्फ सुधीर उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 47/16 धारा 223/224/225 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 104/16 धारा 392 /411 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 180/16 धारा 392 /411 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 276/16 धारा 379 /411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 294/16 धारा 392 /411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 296/16 धारा 307/34 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 297/16 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 133/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 149/17 धारा 307/34 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 150/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 152/17 धारा 25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 510/20 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना चिलकाना सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 511/20 धारा 395/412 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 113/24 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

- 1- उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
- 2- का0 2498 पुष्पेन्द्र कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चौकी शेखपुरा पर पथराव करने एवं पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को चौकी शेखपुरा कदीम पर भीड द्वारा पथराव करने, पुलिस पार्टी के साथ गाली गलौच करने, दुर्व्यवहार करने व पुलिस फोर्स द्वारा रोकने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर है0का0 917 धर्मवीर सिंह द्वारा मु0अ0स0 425/24 धारा 190/191(2)/352/351(3)/125/221/223/121(1)/126(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण 1. इसराइल पुत्र साजिद निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 2. अबुजर पुत्र असलम निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को सहारनपुर मिनी बाईपास पर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. इसराइल पुत्र साजिद निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. अबुजर पुत्र असलम निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 795 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 515 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2059 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 10.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त अनिल उर्फ मैसी पुत्र मुबारक मैसी निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 3264/24 व मु0अ0सं0 323/92 धारा 324 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात में नवीन नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अनिल उर्फ मैसी पुत्र मुबारक मैसी निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. का0 1501 मोहित कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक - 10.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा ई-रिक्शा से बैटरे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये ई-रिक्शा की 02 बैटरे व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादी श्री विकास पुत्र स्व0 जगदीश निवासी देवपुरम कालोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के ई-रिक्शा के 04 बैटरे चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 308/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ई-रिक्शा के बैटरे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित **अभियुक्तगण 1. मौ0 अली उर्फ गुड्डू पुत्र शमीम निवासी दादामिराजी रोड कस्बा व थाना ननौता सहारनपुर व 2. नौशाद पुत्र इरसाद उर्फ सादा निवासी चक हरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे खाली दुकानों के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये 02 अदद बैटरे एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाडी रंग सफेद रजि0नं0 DL 5 CH 3724 को बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमे नशे की लत लग गयी है तथा अपनी नशे की जरूरत एवं खर्चे को पूरा करने के लिए चोरी की थी तथा 02 बैटरे हमने पहले ही बेच दिये थे जो दो बचे बैटरे है आज हम लोग उन्ही को बेचने के लिए निकल थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौ0 अली उर्फ गुड्डू पुत्र शमीम निवासी दादामिराजी रोड कस्बा व थाना ननौता सहारनपुर
2. नौशाद पुत्र इरसाद उर्फ सादा निवासी चक हरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अदद ई-रिक्शा के बैटरी ईस्टमैन कम्पनी
- 01 स्विफ्ट गाडी (बैटरे चोरी की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्याम सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 113 विकास कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 731 पोपिन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 10.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 03 सोलर बैटरे बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.24 को वादी श्री विक्रम सिंह पुत्र अजमेर सिंह ग्राम मुण्डीखेड़ी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत मोटरसाइकिल न0 UP11BW6871 के चालक द्वारा ग्राम मुण्डीखेड़ी आजमपुर से 06 बैटरे शोर ऊर्जा व 02 बैटरे ई0रिक्शा के चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0स0 472/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम एवं अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये **अभियुक्त कुर्बान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को कस्बा रामपुर से डाक्टर ब्रजपाल के अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान में से 03 सोलर बैटरे बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 472/24 में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कुर्बान उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूं मेरे पास नशा करने के लिये पैसे नहीं थे इस कारण मैंने ग्राम मुण्डीखेड़ी से सोलर बैटरी चुराई थी वह मैंने राह चलते कबाड़ी को बेच दी थी। जिसे मैं नहीं जानता बैटरी के पैसे मेने खर्च कर दिये इन बैटरीयों को भी मैं बेचने जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कुर्बान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 03 सोलर बैटरे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



दिनांक: 10.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 09.12.2024 को रात्री चैकिंग के दौरान अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जी जाटव पुत्र बाबूराम निवासी मकान नं0 एच 3 काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को रेलवे नाटक क्लब के पास स्थित सरकारी पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जी जाटव उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 357/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जी जाटव उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि वह कम पढा-लिखा है तथा मजदूरी का कार्य करता है तथा कभी-कभी शराब का नशा करता है तथा यह चाकू वह लोगो में रोक गालिव करने के लिए रखता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजनीश उर्फ रज्जी पुत्र बाबूराम निवासी मकान नं0 एच 3 काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज छुरी

अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जी जाटव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 13/2023 धारा 379/411 थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 14/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 281 विकेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 04 बैटरे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.12.24 को वादी श्री नदीम पुत्र जुम्मन निवासी मो0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि के समय ई रिक्सा से 04 बैटरी निकाल कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर तहरीर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 286/24 धारा 303 (2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1.यूनूस पुत्र शमीम निवासी मो0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर 2. आजम पुत्र अनीश निवासी मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को गंगोह रोड रुहाडा पुलिया से बून्दूगढ रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से ई रिक्सा से चोरी गये 04 बैटरी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम बेरोजगार हैं और नशे के आदी हो गये हैं। हमें पैसे की जरूरत थी। करीब 03 दिन पहले हमने मो0 छत्ता में एक बाहर खड़ी रिक्सा से 04 बैटरी निकाल कर ले गए थे आज हम चोरी किये हुए बैटरी को बेचने की तैयारी कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. यूनूस पुत्र शमीम निवासी मो0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. आजम पुत्र अनीश निवासी मो0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 03 बैटरी एस0एफ0 सोनिक कम्पनी के
- 01 बैटरी ओकाया कम्पनी की (सभी संबन्धित मु0अ0सं0 286/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम:-

1. मु0अ0सं0 3/19 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2. मु0अ0सं0 209/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त यूनूस:-

मु0अ0सं0 54/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 827 रवि कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक 10-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द, सहारनपुर द्वारा डकैती व हत्या का प्रयास करने के मामलों में 03 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास व 45 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.12.2016 को वादी साकिब पुत्र अब्दुल हसन नि0 पठानपुरा बैरियान थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-आबाद पुत्र कल्लू 2-इरशाद पुत्र कल्लू 3-इमरान पुत्र हनीफ 4-श्रीमती जमीला पत्नी कल्लू नि0गण मौ0 बैरियान अडडा थाना देवबन्द द्वारा वादी के भतीजे के ट्रक में घुस कर लूट करने व जान से मारने की नीयत से भतीजे पर फायर करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0-920/2016 धारा 393,307,504 भादवि के पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 509/2017 पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्त-1-आबाद पुत्र कल्लू 2-इरशाद पुत्र कल्लू 3-इमरान पुत्र हनीफ को मु0अ0स0-920/2016 धारा 393,307,504 भादवि का दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास व 45 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट-अभियुक्ता श्रीमती जमीला को दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा

विवेचक उ0नि0 श्री पंकज कुमार विवेचक

पैरोकार-हे0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।